

(12)

आयुक्त/अध्यक्ष मन्डोदय

दिनांक 23-3-98 को सम्पन्न हुई विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ संलग्न है। कृपया अनुमोदित करने का कष्ट करें।

॥ भुवनेश्वर सिंह ॥
उपाध्यक्ष
म०दे०वि०प्रा०, दे०दून ।

[Handwritten signature]
41/5/98

Secy/M.C.

को आगे का कार्यवाही

[Handwritten signature]
का प

[Handwritten signature]
15/4/98

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.3.98 में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति।

1	श्री बी०एम०वोहरा, आयुक्त/अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	श्री भुवनेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा०	उपाध्यक्ष,
3	श्री पी०के०महांति, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
4	श्री प्रमांशु, संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ	सदस्य
5	श्री एस०सी०चन्दोला, महाप्रबन्धक, जि०उ०के०	सदस्य
6	डा०यच०एस०यदुवंशी, संयुक्त निदेशक, पयोचरण	सदस्य
7	श्री टी०एन०बघानी, अधीक्षण अभियंता, जल निगम देहरादून	सदस्य
8	श्री विनोद चमोली, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून	सदस्य
9	श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी	सदस्य
10	डा०एस०डी०सिंह, वन विभाग के प्रतिनिधि	प्रतिनिधि सदस्य
11	श्री एम०ए०खां, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड	प्रतिनिधि सदस्य
12	श्री एम०के०अग्रवाल, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।	
13	श्री आर०पी०पासपोला, सं०नि०कोषागार, गढ़वाल मण्डल, पोड़ी।	

अन्य उपस्थिति

- 1 श्री पंकज गंगवार, सचिव, म०दे०वि०प्रा० देहरादून।
- 2 श्री वी०एम०उनियाल, सहायक लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा० देहरादून।

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 27.9.97 की कार्यवाही की पुष्टि किए जाने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की राय उक्त को अनुमोदित किए जाने एवं पुष्टि किए जाने हेतु ली गयी। उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नानुसार अपने विचार रखे गए।

सर्व प्रथम हिमप्रस्थ आवासीय योजना के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ।

यह प्रकरण गत बैठक दिनांक 27.9.97 की कार्यवाही में पुष्टि के साथ बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा इस भूमि की कीमत रुपये 35 लाख से यह भूमि विकास प्राधिकरण के लिए आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं होगी। इसलिए विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद से भूमि का मूल्य कम करने हेतु अनुरोध किया गया है। बैठक में उपस्थित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका द्वारा अपनी रिक्त भूमियों का विक्रय निर्धारित सरकिल रेट के अनुसार ही किया जा सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकिल रेट आदि सभी तथ्यों को देखने के उपरान्त विकास प्राधिकरण को भूमि के मूल्य के बारे में सूचना दी जायेगी। संयुक्त आवास, आयुक्त मेरठ का सुझाव था कि योजना कि भौतिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा आभास होता है कि यह योजना विकास प्राधिकरण के लिए आर्थिक रूप से वायबिल नहीं होगी।

विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पहले विकास प्राधिकरण इस योजना के सरकिल रेट तथा वायबिलिटी निकाल लें तदोपरान्त ही इस योजना के क्रियान्वयन एवं भूमि को नगरपालिका परिषद से क्रय किए जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। यह भी निर्देश हुए कि योजना के विकास प्राधिकरण के लिए वाहयबिल होने की स्थिति में ही प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष योजना के क्रियान्वयन एवं भूमि क्रय हेतु प्रस्तुत

किया जाए।

क्रमशः...

देहरादून शहर में बस अड्डे के निमोण के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० पर्यटन विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि यदि विकास प्राधिकरण अथवा नगरपालिका परिषद बस अड्डे के निमोण हेतु पर्यटन विभाग को भूमि उपलब्ध करा देते हैं तो पर्यटन विभाग द्वारा 02 करोड़ रुपये की धनराशि बस अड्डे के निमोण हेतु व्यय की जा सकती है। अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में उनकी मा० आवास एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री से भी वार्ता हुई थी और वार्ता के दौरान मंत्री महोदय द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु 02 करोड़ रुपये की धनराशि दिए जाने हेतु आश्वासन दिया गया है।

अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि वि०प्र० इस प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध करा देता है तो बस अड्डे के पास जो भी व्यावसायिक केन्द्र बनाए जायेंगे उनसे प्राप्त होने वाली धनराशि विकास प्राधिकरण द्वारा ली जा सकती है।

संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राधिकरण की रिस्पना नदी के किनारे स्थित भूमि पर बस अड्डे का निर्माण किया जा सकता है। अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पर प्रेक्षागृह के निमोण हेतु पूर्व में ही प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है इसलिए यहां पर अब भूमि रिक्त नहीं है तथापि आम सहमति थी कि रिस्पना नदी के किनारे बस अड्डे का निर्माण आर्थिक रूप से वाहयबिल नहीं होगा क्योंकि स्थल नदी के किनारे स्थित है और भूमि की सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वाल पर पर्याप्त धनराशि व्यय होगी।

विचार विमर्श के उपरान्त आम सहमति यह थी कि इस संबंध में विस्तृत वार्ता हेतु पर्यटन विभाग के अधिकारियों की आयुक्त गढ़वाल मण्डल के साथ एक बैठक आहूत करा ली जाए। जिसमें उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्र० पर्यटन निदेशक (पर्वतीय) अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देहरादून तथा सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग देहरादून उपस्थित रहेंगे। यह भी निर्देश हुए कि इस बीच प्राधिकरण के अधिकारी भूमि की उपलब्धता तथा प्रस्ताव से संबंधित अन्य सभी पहलुओं का विस्तृत परीक्षण करा लें तथा बैठक के समय इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक: 1

वाद संख्या 690/92 में श्री अर्जुन भाटिया जो शारीरिक रूप से विकलांग है पर आरोपित दण्ड ब्याज को शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। आम सहमति यह थी कि दण्ड ब्याज में कमी करने हेतु कोई शासनादेश नहीं इसलिए आम सहमति से दण्ड ब्याज में छूट प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि आवेदक चूंकि विकलांग व्यक्ति है इसलिए इन्हें अवशेष धनराशि जमा करने हेतु अतिरिक्त समय उपाध्यक्ष के स्तर पर दे दिया जाए लेकिन आवेदक से संग्रह शुल्क तथा किश्तों पर ब्याज की वसूली नियमानुसार की जाए।

विषय क्रमांक: 2

कार्यपूति प्रमाण पत्र की फीस निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

कार्यपूति प्रमाण पत्र की फीस निर्धारित किए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद देहरादून द्वारा यह कहा गया है कि आवासीय भवनों के संबंध में भी कार्यपूति प्रमाण पत्र लेने से जनता को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उनका यह भी कथन था कि व्यावसायिक भवनों के लिए कार्यपूति प्रमाण पत्र लिया जाना उचित है। इस पर अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि इस हेतु यह प्राविधान किया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति जिस प्रयोजन हेतु उसे अनुमति दी गई है उसके द्वारा यदि उसके विपरीत निर्माण कार्य किया जाता है तो उस पर अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है। विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अन्य विकास प्राधिकरणों में अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी कर ली जाये लेकिन व्यावसायिक भवनों के कम्प्लिशन सर्टीफिकेट के संबंध में तथा स्वीकृति के प्रयोजन के विपरीत किए गए निर्माण के संबंध में शुल्क का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव आयुक्त/अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

इस विषय पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद देहरादून द्वारा सुझाव रखा गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा नगर पालिका की सीमा के अन्दर स्टैंकिंग चार्ज न लिया जाए और यदि लिया भी जाता है तो नगरपालिका परिषद को हस्तान्तरित कर दिया जाए। अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा स्टैंकिंग चार्जेज शासन के आदेशों के अनुरूप ही लिए जा रहें हैं और इस हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा एक पृथक खाता खोला गया है और स्टैंकिंग शुल्क शासनादेशानुसार हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

विषय क्रमांक: 3

वर्ष 1997-98 का संशोधित एवं वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्तावित बजट आंकड़े प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष 1997-98 का संशोधित एवं वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्तावित बजट पर बैठक में चर्चा करने से पूर्व आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा उक्त बजट के फीचर्स की जानकारी चाही गई। सहायक लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा० द्वारा वर्ष 97-98 के लिए रूपये 1217.25 करोड़ आय के विपरीत 852.54 करोड़ एवं व्यय पक्ष रूपये 1176.40 के विपरीत 763.18 (संशोधित) स्वीकार किया गया है एवं वर्ष 98-99 के लिए रूपये 1516.87 आय एवं रूपये 1414.80 करोड़ व्यय प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अर्न्तगत आवंटन हेतु अवशेष भवनो के निस्तारण के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की गई। अवगत कराया गया कि आवंटन हेतु अवशेष भवनों में से 72 ~~एल०आई०जी०~~ ^{म०दे०वि०प्रा०} प्राधिकरण की डालनवाला आवासीय योजना के अर्न्तगत बनाए गए है लेकिन उक्त योजना में संबंधित प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग देहरादून सरकिल में चल रही है जिसके कारण इनके आवंटन में विधिक कठिनाई हो रही है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष भवनो के निस्तारण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा केम्प लगाए जा रहे है और इन केम्पो द्वारा भवन निस्तारण का अच्छा रैसपोंस मिल रहा है। उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आगामी वर्ष में अवशेष सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इस पर सभी सदस्यो द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि भविष्य में विकास प्राधिकरण द्वारा मांग के अनुरूप ही भवनो का निर्माण किया जाए। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि ऐसी प्राईम लोकेशन जहां भवनो के भविष्य में बिक जाने की सम्भावना हो वहां पर भवन निर्माण कार्य किया जा सकता है।

सदस्यो द्वारा विकास प्राधिकरण के आगामी वित्तीय वर्ष हेतु नए आय के श्रोतो के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की गई। अवगत कराया गया है कि फिलहाल विकास प्राधिकरण द्वारा इंदिरापुरम आवासीय योजना फेस-तृतीय व लोहियापुरम में डूप्लेक्स भवनो का निर्माण प्रस्तावित किया ^{म०दे०वि०प्रा०} है इन भवनो से विकास प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त

आय प्राप्त होने की सम्भावना है। यह भी आशवासन बैठक में दिया गया कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए अतिरिक्त आय के श्रोत जुटाने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जायेगी इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित संयुक्त निदेशक कोषागार ने विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों की अत्यधिक संख्या में होने की बात उठाई। अवगत कराया गया कि शासन द्वारा वर्ष 1991 में दैनिक वेतन कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाए जाने की तिथि के उपरान्त कोई भी नया कर्मचारी नहीं रखा गया है। वर्ष 89 से 91 के बीच जो कर्मचारी दैनिक वेतन पर रखे गए है उनके विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

बजट मद में चर्चा के दौरान सदस्यों की जिज्ञासा थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा कम्प्यूटर एवं वाहन क्रय मद में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान रखा गया है। अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 98-99 में प्राधिकरण द्वारा एक सौफटवेयर के साथ नया कम्प्यूटर क्रय किया जाना है एवं कम्प्यूटर यू0पी0 ग्राडिंग वाहन मद के अतिरिक्त प्रदर्शित धनराशि से प्राधिकरण के पूर्व में क्रय किए गए वाहन को नीलाम करके नया वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा जोर देकर कहा गया कि भविष्य में बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रत्येक मद के बारे में एक संक्षिप्त नोट भी बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राधिकरण की मसूरी स्थित झील एवं कार पार्किंग से होने वाली आय का 40 प्रतिशत भाग नगर पालिका परिषद मसूरी को उपलब्ध कराने हेतु गत बैठको में निर्णय लिया गया था लेकिन प्राधिकरण स्तर से आज तक भी उपरोक्त स्थलो की आय से कोई भी धनराशि नगर पालिका परिषद मसूरी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि प्राधिकरण को मसूरी से इस समय कोई विकास शुल्क नहीं मिलता सिफ झील तथा पार्किंग प्लेसेज् से होने वाली आय से ही रुपये 30 लाख का कार्य प्रस्तावित है।

सर्व सम्मति से यह सुझाव दिया गया कि यदि उपरोक्त के संबंध में पूर्व में कोई निर्णय हुआ है तो प्राधिकरण द्वारा उसके अनुरूप तत्काल कार्यवाही की जाए।

बजट मद में चर्चा के दौरान जिलाधिकारी देहरादून द्वारा सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में माल रोड, कैमल बेक रोड व लायब्रेरी

चौक से आई 0 ए 0 एस 0 अकादमी तक सड़क मरम्मत कार्य करा दिया जाए जिससे आगामी पर्यटक सीजन में पर्यटकों को उक्त मार्गों पर आवागमन सुगमता से हो सके।

आम सहमति थी कि उपरोक्त कार्यों को विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी पर्यटक सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व सम्पादित करा दिया जाए।

उपरोक्त विचार विमर्श के उपरान्त तथा बजट में प्रदर्शित विभिन्न मदों पर गहन विचार करने के उपरान्त सर्व सम्मति से विकास प्राधिकरण के वर्ष 97-98 के संशोधित तथा वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्तावित बजट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक: 4

श्री कुलविन्दर सिंह सहगल के व्यावसायिक भवन मानचित्र संख्या

16/92-93 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत स्थल एक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है इसलिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था हेतु आवेदक से इस आशय का एक अण्डर टेकिंग भी ले लिया जाए कि उनके द्वारा बेसमेंट का प्रयोग उन्हें दी गई स्वीकृति के अनुरूप केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि विकास प्राधिकरण के अधिकारी यह सुनिश्चित करा लें कि आवेदक द्वारा बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग के लिए ही किया जाए। बेसमेंट का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु न होने देने के निर्देश के साथ ही प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

इसी विषय पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त श्रेणी के व्यावसायिक भवन मानचित्रों को स्वीकृति देते समय प्राधिकरण के नियमों के अतिरिक्त संबंधित स्थल की स्थिति पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका मत था कि यदि शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्राधिकरण नियमों के अनुरूप व्यावसायिक निर्माणों की स्वीकृति दी जाती रहेगी तो यह शहर के सुव्यवस्थित यातायात को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा।

चर्चा के दौरान अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिए गए कि निकट भविष्य में प्राधिकरण द्वारा तंग सड़को एवं गलियों पर व्यावसायिक निर्माणों की स्वीकृति कदापि न दी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे स्थानों का विस्तृत सर्वे कराने के उपरान्त उन्हें चिन्हित करा लिया जाए। जिससे निकट भविष्य में ऐसे स्थलों पर व्यावसायिक निर्माणों को स्वीकृति न मिलने पाए।

विषय क्रमांक:5

दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर केन्द्रीयत/अकेन्द्रीय सेवा के (सहायक अभियंता/अवर अभियंता को छोड़कर) पदों पर कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है और शासन इस हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप बढ़ने वाले व्यय भार वहन करने हेतु बचनबद्धता चाही गई है।

विचार विमर्श के उपरान्त आम सहमति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र दे दिया जाए। सदस्यों का यह भी कथन था कि यह वचनबद्धता आज की तिथि से ही होगी। पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का आम सहमति से निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद देहरादून द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हेतु कोटा निर्धारित करने से पूर्व पदों को सृजित करा लिया जाए जिससे विकास प्राधिकरण में पूर्व से कार्यरत कर्मियों का समायोजन हो सके।

बैठक में उपस्थित उपनिदेशक कोषागार का मत था कि पदों के सृजन के पश्चात रिक्त पदों पर नियमानुसार ही भर्ती की जानी चाहिए।

विषय क्रमांक:6

कर एवं राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक के क्रमशः एक पद, चार पद, चार पद के सृजन का प्रस्ताव।

कर एवं राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक के पदों के सृजन

हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पदों के सृजन हेतु कोई औचित्य प्रदर्शित नहीं है क्योंकि शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के संबंध में मांगी गई सूचना में प्राधिकरण को कितने अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी, के सृजन का प्रस्ताव पहले ही विषय क्रमांक-5 में अनुमोदित किया जा चुका है इसलिए अतिरिक्त पदों के सृजन का कोई औचित्य नहीं बनता तथापि अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि यदि उपरोक्त पदों का सृजन अनिवार्य हो तो प्राधिकरण द्वारा उसके लिए विस्तृत प्रस्ताव औचित्य सहित सम्पूर्ण विवरण के साथ प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक:7

दैनिक वेतन भोगी वाहन चालको, सुरक्षा कर्मियों तथा अर्दलियों को वर्दी दिए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि शासन द्वारा वर्ष 1989 तक कार्य पर रखे गए कर्मचारियों के विनियमितीकरण पर विचार किया जा रहा है इसलिए वर्ष 1989 तक कार्य पर लिए कर्मियों को शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्दी उपलब्ध करा दी जाए।

विषय क्रमांक:8

श्री रामेश्वर हबेलिया द्वारा दून डिस्टलरी कुआंवाला में गेस्ट हाउस के अनधिकृत निमोण सम्बन्धी नोटिस संख्या 14/एस-3/97 के शमन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल पर दून डिस्टलरी फैक्ट्री प्राधिकरण के गठन से पूर्व ही निर्मित है और आवेदक द्वारा इसी फैक्ट्री के अहाते में एक गेस्ट हाउस का निमोण प्रस्तावित किया गया है जिस पर प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के तहत नोटिसेज जारी किए गए हैं। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद का कथन था

(2)

था कि स्थल की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त गेस्ट हाऊस के निर्माण को नियमों के अनुरूप अनुमति दे दी जानी चाहिए। बैठक में उपस्थित सामान्य प्रबन्धक, जि०उ०के० द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र की स्पॉट जोनिंग किया जाना आवश्यक है उनका कहना था कि इस क्षेत्र की स्पॉट जोनिंग न होने के कारण संबंधित क्षेत्र के लोगो द्वारा समय समय पर विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी मांग उठाई जाती है तथा स्पॉट जोनिंग न होने से क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों के स्वामियों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त आम सहमति यह थी कि स्थल की स्थिति को देखते हुए प्रश्नगत भवन मानचित्र को नियमानुसार शमनित कर दिया जाए और यदि प्राधिकरण इस क्षेत्र की स्पॉट जोनिंग कर सकते है तो स्पॉट जोनिंग तत्काल करा दी जाए और यदि शासन से इस संबंध में दिशा-निर्देश अपेक्षित हो तो प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाए।

विषय क्रमांक: 9

लोहियापुरम आवासीय योजना में दुमंजिले मध्यम आय वर्ग एवं डुप्लेक्स भवन बनाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव पर चर्चा होने से पूर्व उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि चूंकि प्राधिकरण द्वारा इस स्थल पर सड़को नालियों आदि का विकास कार्य पूर्ण करा दिया गया है जिस कारण भूमि की कीमत बढ़ जाने की वजह से प्रश्नगत स्थल पर विकसित प्लॉटों के विक्रय अच्छा रिसर्पोंस नहीं मिल पा रहा है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल की भौतिकस्थिति तथा चारों ओर आबादी होने के कारण यहां पर भवनों का निर्माण करने से प्राधिकरण को लाभ होगा तथा इस हेतु लोगो की मांग भी प्राप्त हो रही है।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त आम सहमति से निर्णय लिया गया कि यदि विकास प्राधिकरण के पास लोगो द्वारा संबंधित स्थल पर भवन क्रय करने हेतु मांग प्राप्त होती है तो प्रश्नगत स्थल पर प्रस्ताव के अनुरूप भवन निर्माण का कार्य किया जाए।

(2)

विषय क्रमांक:10

सरदार गुरुचरण सिंह द्वारा गौरव भारती शैक्षिक संस्थान के स्कूल भवन मानचित्र संख्या-1012/97-98 की स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सभी सदस्यों द्वारा मानचित्र को प्राधिकरण के उपनियमों के विपरीत बताते हुए सर्व सम्मति से प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक:11

कृषि हरित क्षेत्र में इन्जनियरिंग कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं मेडिकल कालेज, एम0बी0ए0कालेज की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रश्नगत निर्माण को भू-उपयोग के विपरीत होने के कारण सभी सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की।


विषय क्रमांक:12

मसूरी में इन्दिरा भवन के पास के ट्रेचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र शिफ्ट करने के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से इस संबंध में विस्तृत परीक्षण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- | | | |
|---|----------------------------------|---------|
| 1 | उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 | अध्यक्ष |
| 2 | अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी | सदस्य |
| 3 | सहयुक्त नियोजक, ग0स0नि0ख0 | सदस्य |

समिति से अपेक्षा की गयी कि वह प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करने के उपरान्त अपनी आख्या आगामी बैठक में संस्तुति सहित प्रस्तुत करें।



अन्य विषय क्रमांक:1

मसूरी व देहरादून में वृक्षारोपण, फेसिंग एवं ट्री गार्ड के लिए ईको फण्ड से 20 लाख रूपये आहरित करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में वर्णित धनराशि में नगर पालिका परिषद में पार्क का निमोण कराया जाना है। अवशेष धनराशि से विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र के अर्न्तगत वृक्षारोपण, फेसिंग एवं ट्री गार्ड लगाए जायेंगे।

बैठक में चर्चा दौरान आम सहमति यह थी कि वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग से कराए जाने हेतु एक बार पुनः वन विभाग की राय प्राप्त कर ली जाए और यदि वन विभाग की राय प्राप्त कर ली जाए और यदि वन विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया जाता है तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इस कार्य को अपने स्तर में करायें। यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा ट्री गार्ड शहर क्षेत्र के अर्न्तगत ही लगाए जाए जिससे इनकी समुचित देखभाल भी हो सके।

उपरोक्त विचार विमर्श व दिशा निर्देश के साथ सर्व सम्मति से ईको फण्ड से रूपये 10 लाख आहरित किए जाने हेतु उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया।

अन्य विषय क्रमांक:2

दर्शनाल चौक घन्टाघर स्थित एफ0सी0आई0के गोदाम को अन्यत्र शिफ्ट करने तथा जिलापूर्ति कार्यालय को भी अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु कार्यालय भवन का निमोण कराकर उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद ने सुझाव दिया कि घन्टाघर चकराता रोड देहरादून सबसे व्यस्त मार्ग है इसलिए आर0एफ0सी0 गोदामो को अन्यत्र शिफ्ट करने के उपरान्त इस स्थल पर बनाए जाने वाले व्यावसायिक केन्द्र में चकराता रोड के दुकानदारों को सर्वप्रथम पुन-स्थापित किया जाए। जिससे चकराता रोड के चौड़ीकरण का कार्य किया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तहसील एवं डी0एस0ओ0 कार्यालय शहर क्षेत्र से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त स्थल पर व्यावसायिक केन्द्र बनाने के साथ साथ पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान रखा जाए जिससे घन्टाघर तथा आसपास के क्षेत्र की पार्किंग समस्या का समाधान हो सके।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों का समावेश किए जाने के निर्देश के साथ प्रस्तुत

प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्य विषय क्रमांक: 3

आयुक्त/अध्यक्ष के आवास के किराये में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्य विषय क्रमांक: 4

प्राधिकरण द्वारा मसूरी में विकसित बोटनिकल गार्डन में लगाये गये वृक्षों तथा विभिन्न प्रजातियों की नर्सरी के लिए 2 अक्टूबर, 98 तक के रखरखाव के लिए गैर सरकारी संस्था को सौंपे जाने के संबंध में प्रस्ताव

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई संयुक्त विकास आयुक्त की जिज्ञासा के क्रम में बैठक को अवगत कराया गया कि आ-प-का संस्था को केवल उक्त बोटनिकल गार्डन के रखरखाव का कार्य दिया जा रहा है। बैठक में उपस्थित वन विभाग के प्रतिनिधि श्री एस0डी0सिंह ने निर्माणाधीन पार्क का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग तथा म0दे0वि0प्रा0 के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रोड साईड में आरोपित किए जाने वाले वृक्षों के बीच की दूरी निर्धारित मानको के अनुसार कम से कम 02 मीटर होनी चाहिए।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त वर्णित बिन्दुओं का समावेश करने के साथ साथ उक्त गार्डन का रखरखाव का कार्य पार्क की कमीशन तक आपका संस्था को दिए जाने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया। पार्क की कमीशनिंग की सम्भावित तिथि 2 अक्टूबर 1998 रक्खी जा रही है।

यह भी निर्देश दिए गए कि उक्त पार्क में किए जा रहें कार्यों के संबंध में उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 एवं डी0एफ0ओ मसूरी 15 दिन के अन्दर संयुक्त निरीक्षण कर लें और उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 एवं डी0एफ0ओ मसूरी द्वारा उक्त गार्डन में किए जा रहे कार्यों के संबंध में उठाई गई आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से सुनिश्चित करा लें।

अन्य विषय क्रमांक:5लोहियापुरम आवासीय योजना के पास और अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत स्थल पर सड़को, नालियों एवं प्लाटो को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया गया है फलस्वरूप क्रय की गई भूमि का मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। उनका सुझाव था कि यदि इस स्थल पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में क्रय की गई भूमि के साथ लगी अतिरिक्त भूमि को क्रय कर लिया जाता है तो प्राधिकरण को अब क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ेगा और इस प्रकार भूखण्डों के विक्रय मूल्य में भी कुछ हद तक कमी की जा सकती है।

विस्तृत विचारोपरान्त आम सहमति यह थी कि प्राधिकरण द्वारा इस योजना की फिजीविलिटी रिपोर्ट तैयार करा ली जाए।

अन्य विषय क्रमांक:6श्रीमती राजरानी शर्मा द्वारा मालसी डियर पार्क में एम्यूजमेंट पार्क के संबंध में।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ग्राम मालसी डियर पार्क के खसरा नम्बर 15, 24, 33, 34, 35, 36, 37 एवं 38 पर श्रीमती राजरानी शर्मा द्वारा प्रस्तावित किए गए एम्यूजमेंट पार्क के संबंध में बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का कहना था कि आवेदक द्वारा स्थल पर होटल की शक्ल में भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसे किसी भी तरह एम्यूजमेंट पार्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदिका द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।


उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा बैठक को अवगत कराया कि आवेदिका द्वारा स्थल पर प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) व 28(1) के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए निर्माण कार्य रूकवा दिया गया है उन्होंने यह भी अवगत कराया कि यदि संबंधित

आवेदिका द्वारा प्रश्नगत स्थल पर महायोजना में निर्धारित पी-2 भू-उपयोग {जिसमें कि पिकनिक स्पोट के निर्माण की ही अनुमति अनुमन्य है} के अतिरिक्त विरुद्ध निर्माण को किसी भी प्रकार से नहीं होने दिया जायेगा।

विस्तृत विचारोपरानत आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग गढ़वाल सम्भाग देहरादून की राय ले ली जाए। सहयुक्त नियोजक से अपेक्षा की गई कि वे प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण तथा आवेदिका द्वारा दिए गए प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संस्तुति सहित प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्णय लिए जाने के उपरान्त बैठक में सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


{भुवनेश्वर सिंह}
उपाध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।


{बी0एम0वोहरा}
अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

में।

क

र
ारम्भ